"मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावकारिता के लिए कम खर्च समुचित तरीके और बुद्धिमानी से खर्च करना आवश्यक है "- लोक सभा अध्यक्ष ।

नई दिल्ली, 08 सितम्बर, 2015: लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती सुमित्रा महाजन ने आज संसदीय सौध में संसद की लोक लेखा समिति द्वारा आयोजित संसद और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों विधानमंडलों की लोक लेखा समितियों के सभापतियों के अखिल भारतीय सम्मेलन, 2015 का उद्घाटन किया ।

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश, जो अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं, में संसद के निगरानी संबंधी कार्य सक्रिय, चुनौतीपूर्ण और सतत प्रक्रिया वाला है, के महत्व पर जोर देते हुए श्रीमती महाजन ने कहा कि लोक व्यय पर संसद का नियंत्रण केवल देश का प्रशासन चलाने के लिए आवश्यक वित्त पर मतदान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि व्यय बुद्धिमानी से किया जाए और संसद द्वारा स्वीकृत नीतियों में निर्धारित लक्ष्य भी प्राप्त हो सकें । तीन 'E's अर्थात economy, efficiency और effectiveness (मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावकारिता) के लिए कम खर्च, समुचित तरीके से खर्च और बुद्धिमानी से खर्च करना आवश्यक है । नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और लोक लेखा समिति की महत्वपूर्ण भूमिका पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि नियंत्रक- महालेखापरीक्षक और लोक लेखा समिति दोनों ही तीन 'A's अर्थात Accounts, Audit और Accountability (लेखा, लेखापरीक्षा और जवाबदेही) से जुड़े हैं । उन्होंने आशा व्यक्त की कि यदि संभव हो और जहां भी आवश्यक हो इसमें एक और 'A' अर्थात 'Appreciation' (मूल्यांकन) जोड़ा जाना चाहिए ताकि नई अच्छी परिपाटियों और परियोजनाओं को अन्यत्र भी लागू किया जा सके ।

लोक सभा की लोक लेखा समिति के सभापति, प्रो. के.वी. थॉमस ने 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शिष्टमंडलों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों की लोक लेखा समिति के सभापति अथवा सभापतियों के नामित सदस्य और उनके सचिवालय के अधिकारी भी शामिल थे । प्रो. थॉमस ने संसदीय लोकतंत्र में लोक वित्त की जवाबदेही सुनिश्चित करने में लोक लेखा समिति की महत्वपूर्ण भूमिका को भी उजागर किया । उन्होंने बल पूर्वक कहा कि संसद की लोक लेखा समिति जो छह वर्ष बाद सौ वर्ष पूरे करने जा रही है, को अवांछित नहीं बनाया जाना चाहिए । उन्होंने लोक

लेखा समिति के समक्ष आने वाली अनेक चुनौतियों का उल्लेख किया और पारदर्शिता तथा जवाबदेही की बढ़ती मांग का समर्थन करके इस संस्था को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की लोक लेखा समितियों को आत्म निरीक्षण करने और राज्यों तथा संघ राज्यों में लोक लेखा समिति के कार्यकरण में सुधार करने के कार्य के लिए प्रोत्साहित किया ।

यह सम्मेलन दो दिन अर्थात 8 और 9 सितम्बर, 2015 तक चलेगा और इसमें सात सत्र होंगे जहां लोक लेखा समितियों के कार्यकरण को और प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी जिसका उद्देश्य देश में लोक वित्त की जवाबदेही में वृद्धि करना होगा ।

सम्मेलन के अनेक सत्रों के दौरान लिए जाने वाले महत्वपूर्ण विषयें में (एक) सरकारी व्यय में निरंतर वृद्धि और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की बढ़ती संख्या जिसमें समितियों के पास समय और संसाधनों की सीमित उपलब्धता और समिति के लिए सचिवालयीय सहायता को सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता सहित लोक लेखा समितियों के समक्ष आ रही चुनौतियां; (दो) लोक लेखा समितियों के लिए सर्वोत्तम पद्धति मानकों जिनमें भाग लेने वाले विधानमंडलों की लोक लेखा समितियों के बीच सर्वोत्तम पद्धतियों के आदान-प्रदान पर केन्द्रित चर्चाएं हों और विश्व भर की सर्वोत्तम पद्धतियों का पता लगाना जिन्हें देश की लोक लेखा समितियों द्वारा लाभप्रद रूप से अपनाया जा सके; (तीन) लोक लेखा समिति सचिवालयों को मजबूत बनाना जिसमें प्रगतिशील संस्थागत परिवर्तनों और कर्मचारियों के लिए विकास पहलों जैसे कार्यपालिका के कार्यकरण, चुनौतियों और निर्णय लेने की जानकारी शामिल हो, के संबंध में चर्चा होगी; और (चार) लोक लेखा समिति- नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के बीच संबंध जिसमें देश में लोक वित्त जवाबदेही सुनिश्चित करने और उसमें वृद्धि करने के संबंध में दोनों संस्थाओं की पूरक और अनुपूरक भूमिका पर चर्चाएं की जाएंगी ।

सम्मेलन के दौरान विचार-विमर्श के लिए जो अन्य विषय लिए जाएंगे उनमें शामिल हैं- वर्तमान पदाधिकारियों की जांच के अलावा उन सचिवों/वित्तीय सलाहकारों, जो उस अवधि, जब संबंधित सरकार ने लोक व्यय संबंधी निर्णय लिए थे, के दौरान पदासीन थे, की जांच की व्यवहार्यता और वांछनीयता; जनता जो सरकार की जवाबदेही के संबंध में और अधिक जागरूक हो गई है की बढ़ती हुई आकांक्षाओं और प्रिंट, इलेक्ट्रानिक और सोशल मीडिया सहित मीडिया की बढ़ती सतर्कता की चुनौती का सामना करने के लिए लोक लेखा समितियों को और सक्षम बनाए जाने की आवश्यकता; और कुछ अन्य

मुद्दे जैसे लेखापरीक्षित निकायों द्वारा लेखापरीक्षा अधिकारियों को महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करना और ऐसे अपवंचकों से लोक प्राधिकारी कैसे निपटें जिनका उद्देश्य वित्तीय जवाबदेही से बचना है ।

इन सत्रों में दिए गए विषयों पर संसद की लोक लेखा समितियों के चुनिंदा सदस्यों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडलों के सभापतियों द्वारा मुख्य भाषण और प्रस्तुतियां दी जाएंगी ।

सम्मेलन में उद्घाटन सत्र के दौरान लोक सभा के माननीय उपाध्यक्ष डा. एम. तम्बिदुरै ने भी सम्मेलन की गरिमा बढ़ाई । सुविख्यात सांसद और लोक सभा की लोक लेखा समिति के पूर्व सभापति डा. मुरली मनोहर जोशी समापन भाषण देंगे । माननीय संसद सदस्य और लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष श्री पी.ए. संगमा भी समापन सत्र को संबोधित करेंगे ।